

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 867 / 2015

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 867 / 2015

संस्थापित दिनांक 05 / 11 / 2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. नौशाद पुत्र रहीम खान उम्र 40 साल
 2. कंजा पुत्र रहीम खान उम्र 30 साल
 3. फिरोज पुत्र नौशाद खान उम्र 19 साल
- समस्त व्यवसाय मजदूरी निवासीगण वार्ड क्र.7
इस्लाम पुरा गोहद, पुलिस थाना गोहद जिला
भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा—324, भा0द0स0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री आलोक उपाध्याय ।)
(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री ए0के0समाधिया ।)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 16 / 11 / 16 को घोषित किया)

1. आरोपीगण पर दिनांक 24.06.15 को 19:30 बजे फरियादी आविद खान के घर के सामने इस्लामपुरा गोहद में सार्वजनिक स्थान पर फरियादी आविद खान को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी आविद को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी आविद पर धारदार आयुध चाकू से एवं आहत जब्बार की आक्रामक धारदार आयुध सरिये से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु आरोपी नौशाद खान पर भा.दं.सं. की धारा 294, 506 भाग 2 एवं 324 / 34 (2 शीर्ष) एवं आरोपी कंजा तथा आरोपी फिरोज पर भा.दं.सं. की धारा 294, 506 भाग 2, 324 एवं 324 / 34 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 24.06.15 को शाम साढ़े 07 बजे आरोपी नौशाद खान लाठी लेकर, फिरोज खान सरिया लेकर तथा कंजा चाकू लेकर फरियादी आविद के पास आये थे एवं फरियादी आविद से कहा था कि तुम बच्चों की मारपीट करते हो तथा उसे गालियां दी थीं। जब फरियादी आविद ने आरोपीगण को गाली देने से मना किया था तो नौशाद ने आविद की पीठ में लाठी मारी थी। तथा कंजा ने आविद के बायें हाथ की उंगली में चाकू मारा था। जब उसका भाई जब्बार बचाने आया था तो फिरोज ने जब्बार के धारिया मारा था जो जब्बार के बायें हाथ की कलाई में लगा था। मौके पर मुस्ताक खान एवं छुन्ना खान ने उन्हें बचाया था। आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद द्वारा अपराध क्र. 193/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था तथा विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी आविद खान एवं आहत जब्बार खान द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही भादस की धारा 294 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी नौशाद पर मात्र भादस की धारा 324/34 (दो शीर्ष) तथा आरोपी कंजा एवं फिरोज पर भादस की धारा 324 एवं धारा 324/34 के अंतर्गत अपराध का विचारण शेष है।

5. द0प्र0स0की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 24.06.15 को 19:30 बजे फरियादी आविद खान के घर के सामने इस्लाम पुरा गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी आविद एवं आहत जब्बार की आक्रामक धारदार आयुध चाकू एवं धारिया कर मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहित कारित की ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से डॉ धीरज गुप्ता अ.सा. 01 फरियादी आविद अ.सा. 02 एवं आहत जब्बार अ.सा. 03 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी आविद खान अ.सा. 02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग डेढ़ साल पहले शाम

7-8 बजे की है। वह अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी आरोपी नौशाद खान, कंजा एवं फिरोज वहां आये थे, उसका आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था। आरोपीगण ने गाली-गलोज किया था एवं जान से मारने की धमकी दी थी। अन्य कोई बात नहीं हुयी थी। उसने इसी बात की रिपोर्ट थाने पर की थी जो प्रदर्श पी 02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने उसकी एवं जब्बार की मारपीट की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि नौशाद ने उसकी पीठ में लाठी मारी थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि कंजा ने सके बायें हाथ की हथेली में चाकू मारा था। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि जब जब्बार उसे बचाने आया था तो फिरोज ने जब्बार के धारिया मारा था। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा मारपीट करने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 और पुलिस कथन प्रदर्श पी 04 में पुलिस को लिखाई थी।

8. आहत जब्बार अ.सा. 03 ने भी अपने कथन में आरोपीगण का उसके भाई आविद से मुंहवाद होना एवं आरोपीगण द्वारा गाली गलोज करना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने भी अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि नौशाद ने आविद की पीठ में लाठी मारी थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि कंजा ने आविद के चाकू मारा था तथा जब वह बचाने गया था तो फिरोज ने उसे धारिया मारा था।

9. डॉ. धीरज गुप्ता अ.सा. 01 ने फरियादी आविद की चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 को प्रमाणित किया है।

10. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी आविद खान अ.सा. 02 ने अपने कथन में आरोपीगण से उसका मुंहवाद होना और आरोपीगण द्वारा गाली गलोज करना बताया है एवं व्यक्त किया है कि अन्य कोई बात नहीं हुई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपीगण ने झगड़े के दौरान उसकी एवं जब्बार की लाठी चाकू एवं धारिया से मारपीट की थी। आहत जब्बार अ.सा. 03 ने भी अपने कथन में आरोपीगण का आविद से मात्र मुंहवाद होना बताया है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने उसकी एवं आविद की मारपीट की थी। डॉ. धीरज गुप्ता अ.सा. 01 ने फरियादी आविद की चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 को प्रमाणित किया है। डॉ. धीरज गुप्ता अ.सा. 01 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। प्रकरण में आयी साक्ष्य को देखते हुए उक्त साक्षी के कथन का विश्लेषण करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

12. इस प्रकार प्रकरण में फरियादी आविद खान अ.सा. 02 एवं जब्बार अ.सा. 03 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। आरोपीगण द्वारा मारपीट करने के तथ्य से इंकार किया गया है। डॉ. धीरज गुप्ता अ.सा. 01 प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य

किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है कि जिससे यह दर्शित होता है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने फरियादी आविद एवं आहत जब्बार की आक्रामक धारदार आयुध चाकू एवं धारिया से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

13. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करें। यदि अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।

14. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 24.06.15 को 19:30 बजे फरियादी आविद खान के घर के सामने इस्लाम पुरा गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी आविद एवं आहत जब्बार की आक्रामक धारदार आयुध चाकू एवं धारिया से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी नौशाद खान को भा.दं.सं. की धारा 324/34 (2 शीर्ष) तथा आरोपी कंजा आरोपी फिरोज को भा.दं.सं. की धारा 324 एवं 324/34 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

15. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं, उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

16. प्रकरण में जब्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 16-11-2016

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)